

13/12/18

मान्य. अनुमण्डल दण्डाधिकारी, वाराणसी।

24/12  
3/1/19  
8/1/19  
15/1/19  
22/1/19  
23/1/19

अन्तर्गत कार्यवाही 274/2018

1. रामचन्द्र पाण्डेय पिता स्वर्ग राहने पाण्डेय, 2. रामेश पाण्डेय पिता स्वर्ग  
मूलक पाण्डेय, 3. रामचन्द्र पाण्डेय गोप पिता जादू गोप, 4. रमेश गोप पिता स्वर्ग  
गोप, 5. गोप मह, गवायाडीह, थाना- पिण्डाजीरा, जिला-वोकारो।

द्वितीय पक्ष :- 1. मिश्रणी कुमर महतो, पिता स्वर्ग महतो महतो 2 सुनील महतो पिता किशोरी  
कुमर महतो, 3. सुनील महतो पिता गुरुपद महतो, 4. शान्ति राम महतो पिता  
गुरुपद महतो, 5. लक्ष्मी देवी- गवायाडीह, थाना- पिण्डाजीरा, जिला-वोकारो।

कार्यवाही

मान्य प्रभारी पिण्डाजीरा के अपाथगिरी सख्या 14/18 जो पुलिस निरीक्षक वाराणसी (मु०) अंचल के अन्तर्गत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त प्रत्येक पक्ष के उपस्थित होने से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का लेकर विवाद है जिससे अभी भी शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस प्रदाधिकारी न सचिव न की अगस्त 14 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुमण्डल को यह ताकि शांति व्यवस्था बनाया जा सके।

भूमि का विवरण

| सदस्य का नाम | पुलिस थाना का नाम | खस्ता सख्या | खेसरा सख्या | रकबा    |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| पिण्डाजीरा   | पिण्डाजीरा        | 120         | 1526        | 177 डी0 |

नोटिस

सदस्य :- पिण्डाजीरा से उत्तरांचल के हरक रामगोप पक्की सड़क;  
 दक्षिण :- रामचन्द्र महतो एवं रामेश महतो का जमीन।  
 पूर्व :- रामगोप महतो का परती जमीन।  
 पश्चिम :- किशोरी कुमर महतो एवं उनके गोविया का परती जमीन के बाद द्विपक्ष का घर बना हुआ।

अतः एक निवेदनानुसार 03/12/18 की प्रातः 14 के अन्तर्गत उपरोक्त विवरण की भूमि पर एकदम इस दोनो पक्ष के सदस्यों को जाते से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि अगामी दिनांक 03/12/18 को पूर्वाह्न 11.00 बजे गैर आवासीय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो प्रस्तुत करे कि उपरोक्त भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा का क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

31/12/18

सूचना का प्रतिलिपि प्राप्त।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी वाराणसी

द्वितीय पक्ष के चार सदस्य का हजरती है  
 SIC हेतु समय का आवेदन है प्रथम पक्ष के  
 चार सदस्य का हजरती है SIC हेतु समय  
 का आवेदन है।  
 दिनांक 13/12/18 का सर्वे

C.D.

29/12

①  $\frac{31119}{\dots}$

$$\frac{87119}{131118}$$

पुण्ड्रिय पिता स्वामि

$$\overline{23 \overline{) 1}}$$

किशोरी

## कन्यारवाही

सम्पूज्य प्रतिवेदन के आधारकृतन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का लेकर विवाद है जिससे कृषि की आपूर्ति पर होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस प्रशासिकाओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कागवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता को रेखांकित करित-व्यवस्था बनाया जा सके।

| संज्ञक नाम | संज्ञक नाम | संख्या | संख्या | रकित    |
|------------|------------|--------|--------|---------|
| विष्णुजीरा | विष्णुजीरा | 120    | 1526   | 177 डी0 |

उत्तर — विन्हालाय से उत्तरमाडा के तरफ सामीप पवनी महल।  
दक्षिण — सामासम महली एवं दिनासम महली का जमीन।  
पूर्व — श्यामी कम्हार का परती जमीन।  
पश्चिम — किशोरी दुगा महल एवं उनके गोतिया का परती जमीन के बाद द्विगक्ष का घर बना हुआ।

03/12/18

अनुमण्डल-उपडिविभागी,  
धारा ।

दिनांक 13/12/18 को शुरू

C. n.

13/12/18 द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य का हानसी  
है, S/C हेतु समय का आवेदन है।  
प्रथम पक्ष के चार सदस्य का  
है, S/C हेतु समय का आवेदन है।

Next date 24-12-18

Chun  
13/12/18

24/12/18 द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का हानसी है  
S/C हेतु समय का आवेदन है  
प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हानसी है  
S/C हेतु समय का आवेदन है  
दिनांक 31/12/18 को रखें

31/12/18 अविद्यमानता के निवारण के कारण  
अविद्यमानतागत न्यायिक कार्य से अलग  
रहे। अभिलेख दिनांक 31/12/18 को रखें

S.D.M  
Chas

31/12/18 अविद्यमानता के निवारण के कारण अविद्यमानतागत  
न्यायिक कार्य से अलग रहे। अभिलेख  
दिनांक 31/12/18 को रखें।

S.D.M  
Chas

31/12/18 प्रथम पक्ष के नकारात्मक हानसी है  
S/C हेतु समय का आवेदन है  
द्वितीय पक्ष के नकारात्मक हानसी है  
दिनांक 24/12/18 को रखें

S.D.M  
Chas

निवेदन  
23/11/19

सं 560

2

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है प्रथम पक्ष के नवगलन हाजरी है  
5/10 हेतु समय का आवेदन है।  
दिनांक 23/11/19 को रखे

23/11/19

5.0.11  
Chas  
द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है प्रथम पक्ष के 5/10 हेतु समय का आवेदन है।  
दिनांक 24/11/19 को रखे

24/11/19

5.0.11  
Chas  
द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है 5/10 दाखिल किया गया प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है 5/10 दाखिल किया गया।

Heard the learned  
Counsel of both the parties  
but up for order.

24/11/19

final order passed by me  
on 24/11/19.

Signature